राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या– 310/2008/जयपुर

मैसर्स इण्डियन होटल कंम्पनी लि.
यूनिट जय महल पैलेस, जैकब रोड, जयपुर। .....अपीलार्थी

बनाम

वाणिज्यिक कर अधिकारी,
प्रतिकरापवंचन, राज.–II, जयपुर। ....प्रत्यर्थी

एकलपीठ कैम्प जयपुर
श्री खेमराज, अध्यक्ष

उपस्थित : :

श्री अलकेश शर्मा,
अधिकृत अभिभाषक .....अपीलार्थी की ओर से

श्री एन.के.बैद,
उप राजकीय अभिभाषक .....प्रत्यर्थी विभाग की ओर से

निर्णय दिनांक : 27.04.2017

निर्णय

1. अपीलार्थी–व्यवहारी द्वारा यह अपील उपायुक्त (अपील्स), तृतीय, वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 73/आरएसटी/1999–2000/जी/06–07 में पारित आदेश दिनांक 10.08.2007 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है।

2. दोनों पक्षों की बहस सुनी गयी, पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड एवं प्रतिप्रेषित आदेश का अवलोकन किया गया। रेकार्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, राज. II, जयपुर (जिसे आगे **"कर निर्धारण अधिकारी"** कहा जायेगा) ने अपीलार्थी व्यवसायी के विरूद्ध अपने आदेश दिनांक 03.04.1999 द्वारा मांग सृजित की गई। उक्त आदेश के विरूद्ध, अपीलार्थी ने अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील पेश करने पर, अपीलीय अधिकारी ने अपने आदेश दिनांक 10.08.2007 द्वारा प्रकरण पुनः कर निर्धारण अधिकारी को आदेश पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित कर दिया। अपीलीय अधिकारी के उक्त प्रतिप्रेषित आदेश की पालना में, कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पुनः कर निर्धारण आदेश दिनांक 20.01.2010 पारित कर दिया गया है। अतः अपील सारहीन हो जाने से खारिज होने योग्य है।

3. फलतः अपीलार्थी–व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन (Infructuous) हो जाने से खारिज की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

(खेमराज)
अध्यक्ष